

2026:AHC:50865

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 973/2026

प्रेम शंकर एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार सिन्हा

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता : अरुण कुमार पाण्डेय, अरविन्द श्रीवास्तव तृतीय, मुख्य
स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. सिन्हा, प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद श्रीवास्तव तृतीय तथा श्री आशीष कुमार, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मुनेश्वर सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 7-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पाण्डेय को सुना गया।

2. वर्तमान जनहित याचिका निम्नलिखित प्रतिकार हेतु प्रस्तुत की गई है:-

“I. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए अभिलेख तलब किया जाए तथा प्रतिवादी संख्या 2 के न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण वाद संख्या REV/5565/2025/रामपुर, (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या R20251359005565) ‘विशेष कुमार एवं अन्य बनाम प्रेम शंकर’ में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.01.2026 को निरस्त किया जाए (जो कि इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 है)।

II. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पुनरीक्षण वाद संख्या REV/5565/2025/रामपुर, (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या R20251359005565) ‘विशेष कुमार एवं अन्य बनाम प्रेम शंकर’ में पारित आक्षेपित स्थगन आदेश दिनांक 12.01.2026 के अनुपालन में याचीगण के कब्जे में हस्तक्षेप न करें।”

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत कार्यवाही याचिकाकर्ताओं के पिता के आवेदन पर प्रारंभ की गई थी, जिसका निर्णय कार्यवाही में प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या के आधार पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विधि के अनुसार किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 (4) के अंतर्गत निजी प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत अपील को आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 18.11.2025 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। उन्होंने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 की ओर से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण में निर्धारित तिथि अर्थात् 12.01.2026 को याचिकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजस्व परिषद के न्यायालय में उपस्थित थे, परन्तु मामले को सुनवाई हेतु नहीं लिया गया तथा 19.01.2026 की तिथि नियत कर दी गई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को कोई अवसर प्रदान किए बिना ही दिनांक 12.01.2026 का आदेश राजस्व परिषद द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा पुनरीक्षण को विचारार्थ ग्रहण करते हुए उसमें अंतरिम आदेश प्रदान किया गया। उन्होंने यह दर्शाने के लिए कि दिनांक 12.01.2026 को वाद को 19.01.2026 के लिए स्थगित किया गया था, रिट याचिका के साथ संलग्न अभिलेखों का अवलंबन किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 12.01.2026 को निरस्त किया जाए तथा वाद को पुनः राजस्व परिषद के समक्ष इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाए कि वह वाद को ग्रहण करने तथा अंतरिम आदेश प्रदान करने के संबंध में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् विचार करे।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि वाद को दिनांक 12.01.2026 को राजस्व परिषद के समक्ष उल्लेखित किया गया था और निजी प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए उल्लेख के आधार पर वाद को विचारार्थ ग्रहण किया गया तथा अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याची द्वारा अनुलग्नक संख्या 8 के रूप में संलग्न अभिलेख प्रामाणिक अभिलेख नहीं हैं, अतः उसे विचार में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण को ग्रहण करने तथा राजस्व परिषद द्वारा अंतरिम संरक्षण प्रदान करने संबंधी आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है और पत्रावली का अवलोकन किया है।

6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 (4) के अंतर्गत कार्यवाही याचीगण के पिता के आवेदन पर निर्णीत की गई थी तथा उक्त आदेश को अपील में यथावत रखा गया है। इस तथ्य के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि निजी प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण को ग्रहण किया गया है तथा उसमें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है।

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, न्याय के हित में यह उचित होगा कि राजस्व परिषद को यह निर्देशित किया जाए कि वह एक निर्धारित समयावधि के भीतर पुनरीक्षण का निस्तारण करे तथा पक्षकारों को यह निर्देशित किया जाए कि वे राजस्व परिषद द्वारा प्रदान किए गए अंतरिम आदेश दिनांक 12.01.2026 के अतिरिक्त, मौके पर आज की विद्यमान स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाए रखें।

8. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका अंतिम रूप से इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2- राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, अपने समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से, पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत उपर्युक्त पुनरीक्षण का निस्तारण यथाशीघ्र, अधिमानतः तीन माह की समयावधि के भीतर करे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि राजस्व परिषद के समक्ष उपर्युक्त पुनरीक्षण के लंबित रहने तक, पक्षकार राजस्व परिषद द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12.01.2026 के अतिरिक्त, प्रश्नगत भूखंड के संबंध में आज की विद्यमान स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाए रखेंगे।

10 मार्च, 2026

(चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)